

राहुल के लाडले सचिन राव के नाचने-गाने का वीडियो वायरल

वीडियो सचिन राव द्वारा चलाए जाने वाला एक प्रशिक्षण शिविर का है, जिसमें वे ट्रेनीज़ के साथ मज़े में नाच रहे हैं

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 जनवरी। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सचिन राव को उन सभी ट्रेनीज़ के साथ मज़े में नाचते हुए देखा जा सकता है, जिन्हें वे कथित तौर पर वर्षों के सेवाग्राम और देश के अन्य स्थानों पर आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण देते हैं।
नाच से पहले, पुरुष और महिला प्रशिक्षुओं को आपस में कुश्ती करने के लिए कहा जाता है।
सचिन राव द्वारा भविष्य के कांग्रेस नेताओं को तैयार करने के लिए चलाए जा रहे इन प्रशिक्षण शिविरों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनके कोई जवाब सामने नहीं आए हैं।
सचिन राव द्वारा प्रशिक्षित नेता आखिर हैं कहां? कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर उनका क्या प्रभाव रहा है?
इनमें से कितनों ने पार्टी की स्थिति को मजबूत किया है और कितने लोकसभा, विधानसभा तथा अब नगर निकाय चुनावों में पार्टी की जीत में निर्णायक भूमिका निभा पाए हैं?
मौजूदा हालात में सचिन राव को

- राहुल के नए सलाहकार समूह “जय जगत” के एक प्रमुख सदस्य हैं, सचिन राव और वे देश भर में कांग्रेस के नए नेताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं, यह भी पता चला है कि वे महिला व पुरुष ट्रेनीज़ को आपस में कुश्ती भी लड़वाते हैं।
- वीडियो आने के बाद से सवाल उठ रहे हैं, क्या सचिन राव इस तरह से नए नेता तैयार कर रहे हैं?
- यह भी पूछा जा रहा है कि सचिन राव द्वारा प्रशिक्षित नेता आखिर हैं कहां और वे किस प्रकार से पार्टी की भावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- यह भी पूछा जा रहा है कि क्या इनमें कोई भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के सहायक बना है।
- पार्टी हल्कों में पूछा जा रहा है कि सचिन राव की बात को ध्यान से सुनने व उनकी सलाहों पर सक्रियता से अमल करने वाले राहुल गांधी इस वीडियो को देख कर क्या कोई एक्शन लेंगे।
- इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है, खासकर तब जबकि कांग्रेस पार्टी एक के बाद चुनाव हार रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता जा रहा है।

राहुल गांधी के बेहद करीबी के रूप में देखा जाता है। वे राहुल गांधी के नए सलाहकार समूह “जय जगत” के सदस्य भी हैं। इसके अलावा वे राहुल गांधी के अत्यंत निकट हैं, तथा राहुल उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और

उनकी सलाह पर सक्रिय रूप से अमल भी करते हैं।
लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में लगातार अव्यवस्था की स्थिति में बनी हुई है और पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है, जिससे पूरी पार्टी का मनोबल

गिर चुका है। इसके बावजूद, किसी ने भी राहुल गांधी के इस ‘ब्लू-आइड बॉय’ से यह पूछने की हिम्मत नहीं की है कि इन प्रशिक्षण सत्रों में वास्तव में होता क्या है और इनका फायदा आखिर किसे पहुंचता है !!!

सहायक अभियोजन अधिकारी के चयन पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जयपुर, 16 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 में सिर्फ चार अभ्यर्थियों के पास होने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस

- इस परीक्षा में केवल 4 अभ्यर्थी ही न्यूनतम अंक प्राप्त कर पास घोषित हुए थे।

समीर जैन ने यह आदेश सृष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान, आरपीएससी के परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व की कई भर्तियों में कई बार अभ्यर्थियों के शून्य से भी कम अंक आते थे। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए अब न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता रखी गई है। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि याचिका में न्यूनतम अंक तय करने का मुद्दा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की अपील ठुकराई

जस्टिस वर्मा ने अपनी अपील में उनके खिलाफ जाँच के लिए संसदीय समिति के गठन को चुनौती दी थी

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 16 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत, उनके महाभियोग के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के फैसले को रद्द करने की मांग की थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 8 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह निर्णय सुनाया।
14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली आवास पर लगी आग के दौरान दमकलकर्मियों को बेहिसाबी नकदी मिली थी, जिसके बाद न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोपों से

इनकार किया, लेकिन उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया और आगे की कार्रवाई पर विचार किए जाने तक उनसे न्यायिक कार्य भी वापस ले लिया गया।
भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना (जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं) ने इस मामले में एक आंतरिक जांच शुरू की थी और अंततः न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने या महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने को कहा था। न्यायमूर्ति वर्मा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया था।
अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों द्वारा जस्टिस वर्मा के महाभियोग के लिए लागू गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की।
लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत, घटना

की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। इसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा ने इन कार्यवाहियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को प्रक्रियात्मक आधार पर

- इस जाँच समिति के गठन का फैसला लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला द्वारा “जजेस (इन्क्वायरी) एक्ट” के तहत जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की मंशा से किया गया था।
- जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने 8 जनवरी को फैसला रिजर्व रखा था।
- जस्टिस यशवंत शर्मा जब दिल्ली हाई कोर्ट में थे तब 14 मार्च 2025 को उनके आवास में लगी आग में दमकल कर्मियों को अथजले नोटों की गड़ियों मिली थी तब से ही उनके खिलाफ जाँच चल रही है। घटना के बाद जस्टिस वर्मा को उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था।

की प्रतीक्षा किए बिना एकतरफा रूप से जांच समिति गठित कर दी।
उनके वकील ने तर्क दिया कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की धारा 3 के एक प्रावधान के अनुसार, जब महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के बीच संयुक्त परामर्श आवश्यक है। केवल उसके बाद ही जांच समिति गठित की जा सकती है।
लोकसभा के महासचिव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होता। उन्होंने बताया कि जुलाई में तत्कालीन सभापति (तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़) के इस्तीफे के बाद, 11 अगस्त 2025 को राज्यसभा के उपसभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
इसलिए लोकसभा के

महासचिव ने दलील दी कि लोकसभा अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए महाभियोग की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम थे।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या ऐसा कोई कानून है जो केवल इस आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही जारी रखने से रोकता हो कि उसी दिन राज्यसभा के उपसभापति ने ऐसा प्रस्ताव खारिज कर दिया था।
अदालत ने इस विचार से भी प्रथम दृष्टया असहमति जताई थी कि ऐसे मामलों में महाभियोग प्रस्ताव स्वतः विफल हो जाएंगे।
न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा, मुकुल रोहतगी और जयंत मेहता ने पैरवी की। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया।

महासचिव ने दलील दी कि लोकसभा अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए महाभियोग की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम थे।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या ऐसा कोई कानून है जो केवल इस आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही जारी रखने से रोकता हो कि उसी दिन राज्यसभा के उपसभापति ने ऐसा प्रस्ताव खारिज कर दिया था।
अदालत ने इस विचार से भी प्रथम दृष्टया असहमति जताई थी कि ऐसे मामलों में महाभियोग प्रस्ताव स्वतः विफल हो जाएंगे।
न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा, मुकुल रोहतगी और जयंत मेहता ने पैरवी की। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया।

को भेंट किया।
राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को मचाडो से मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो से मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी। वे एक अद्भुत महिला हैं, जो बहुत कुछ झेल चुकी हैं। मारिया ने मेरे द्वारा किए गए कार्यों के लिए मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेंट किया। आपसी सम्मान का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताने वाले राहुल देश से माफी मांगें ’

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करने के बाद भाजपा ने राहुल पर हमला बोला

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 16 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारत की सराहना किए जाने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार को भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें निराशावाद का नेता (लीडर ऑफ पैसिमिज़्म) करार दिया।
आईएमएफ ने गुरुवार को कहा था कि भारत दुनिया के लिए मुख्य विकास इंजन है और देश की तीसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि अनुमान से कहीं बेहतर रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण झूठ और बदनाम करने के लिए देश से माफी मांगेंगे।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान से ज्यादा ताकतवर रूप में उभरी है।

- भाजपा के प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल गांधी को “लीडर ऑफ पैसिमिज़्म” करार दिया और कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की लगातार बुराई करने वाले राहुल गांधी को देश और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

केसवन ने कहा, एलओपी यानी ‘निराशावाद के नेता’ राहुल गांधी, जिन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठ बोला और भारतीय अर्थव्यवस्था को बदनाम किया, क्या अब सार्वजनिक रूप से देश और जनता से माफी मांगेंगे? आईएमएफ द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना राहुल गांधी की फर्जी कहानी और सस्ते राजनीतिक एजेंडा पर करारा तमाचा है, जिसने हमारे देश की उल्लेखनीय

प्रगति और विकास को कमजोर करने की कोशिश की।
भाजपा नेता के अनुसार, राहुल गांधी को उनकी संकीर्ण और विफल राजनीतिक सोच के कारण देश की जनता बार-बार खारिज करती रही है, क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए देश को गाली देने और बदनाम करने में कोई संकोच या पछतावा नहीं है।
भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के

लगातार आलोचक रहे राहुल गांधी ने पिछले साल अगस्त में भारतीय अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताया था।
उन्होंने यह टिप्पणी उस बयान से सहमति जताते हुए की थी, जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर शुल्क लगाने के संदर्भ में दिया था।
राहुल गांधी ने तब कहा था, हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तथ्य बताया है। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। यह बात प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर सब जानते हैं।
इस बयान के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया था और सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने कांग्रेस नेता की तीखी आलोचना की थी।

मारिया मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को भेंट किया

नयी दिल्ली/वॉशिंगटन, 16 जनवरी। नोबेल शांति पुरस्कार(2025) से सम्मानित मारिया कोरिना मचाडो ने अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप

- नोबल समिति के अनुसार एक बार दिया हुआ शांति पुरस्कार हस्तांतरित, साझा या रद्द नहीं किया जा सकता।